न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी :– श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 10/2013
राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

अपीलान्ट	बनाम	उतरदातागण
1. वरजूदेवी पत्नी तुलसाराम फौत के का.मु. 1/1 हनुमान पुत्र तुलसाराम 1/2 भेराराम पुत्र तुलसाराम 1/3 भंवरलाल पुत्र तुलसाराम 1/4 मोहनलाल पुत्र तुलसाराम 1/5 प्रकाश पुत्र तुलसाराम जातियान सुथार निवासीयान सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. ग्राम पंचायत शोभाला दर्शान जरिये सरपंच 2. हरीसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी शोभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

उपस्थित : अपीलान्ट वकील : श्री आम्बाराम पुनड़

उपखण्ड अधिकारी

–: आदेश :–

दिनांक 21.11.2022

अपीलकर्ता की अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने उतरदाता संख्या 2 के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1121/612 रकबा 24.03 बीघा की भूमि जो उतरदाता संख्या 2 के खातेदारी की थी जो बाजाब्ता रजिस्ट्री पंजीबद्व कराकर दिनांक 31.01.2013 को खरीद किया था तथा वक्त खरीद अपीलकर्त्ता ने उतरदाता संख्या 2 को प्रतिफल की राशि अदा कर उपरोक्त खसरे की भूमि पर कब्जा कर दिया था तब से अपीलकर्त्ता का ही उक्त खसरे की भूमि पर कब्जाव व काश्त हैं।

अपीलकर्त्ता ने उक्त बेचान के आधार पर अपने नाम से नामान्तकरण भरने हेतु उतरदाता संख्या 1 के यहां दिनांक 15.04.2013 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प बमुकाम शोभाला दर्शान में आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का ने कैम्प प्रभारी के आदेश क्रमांक 2013 दिनांक 15.04.2013 की पालना में नामान्तकरण खोला जाकर बाद जांच उतरदाता संख्या 1 के समक्ष रखा। लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 15.04.2013 को ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि का वाद न्यायालय में विचाराधीन होने की गलत सूचना के आधार पर एवं कब्जा नहीं होने व गलत बेचान के आधार पर उक्त नामान्तकरण गलत रूप से उतरदाता संख्या 1 द्वारा खारीज किया गया।

उक्त आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है– अपीलकर्त्ता ने उतरदाता संख्या 2 से उसके खातेदारी भूमि को बाजाब्ता रजिस्ट्री करवाकर तथा प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद किया गया था तथा वक्त खरीद ही उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया था। अपीलकर्त्ता ने प्रतिफल की राशि अदा कर ही भूमि को खरीद किया था। उक्त खसरे की भूमि को लेकर किसी भी न्यायालय में नामान्तकरण खोलने के समय कोई वाद विचाराधीन नहीं था और ना ही उक्त भूमि को लेकर किसी भी न्यायालय में स्टे आदेश जारी किया गया है। यदि [illegible] नामान्तकरण खोलते समय न्यायालय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.05 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

Scanned with OKEN Scanner

... का स्टे होता तो कैम्प प्रभारी नामान्तकरण खोलने के आदेश पटवारी को नहीं देता ...ारी द्वारा भी न्यायालय के स्टे की टिप्पणी की जाती। ऐसी स्थिति में उतरदाता संख्या 1 ने ...मान्तकरण का आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है।

उक्त खसरे की भूमि पर वक्त खरीद से आज दिन तक अपीलकर्त्ता का ही कब्जा व काश्त है तथा अपीलकर्त्ता की पक्की ढाणी व बेरा बना हुआ है तथा अपीलकर्त्ता ने का रहवासी ढाणी में सपरिवार रहवास है तथा अपीलकर्त्ता ने अपने खेतों के चारों और पक्की तारबंदी कर अपना कब्जा पुख्ता कर रखा है उतरदाता संख्या 1 ने अपीलकर्त्ता के खेत का मौका मुआयना किये बिना ही उक्त नामान्तकरण का आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं। उक्त खसरे की भूमि के बाबत् धाधु व लतीफ का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है तथा न ही इस भूमि पर कभी भी धाधु व लतीफ का कब्जा रहा है उक्त कब्जा मात्र एक ही खातेदार उतरदाता संख्या 2 का ही था तथा उतरदाता संख्या 2 द्वारा ही अपने उक्त खेत का बेचान अपीलकर्त्ता को किया है ऐसी स्थिति में भी उक्त नामान्तकरण का आदेश पारित करने में उतरदाता संख्या 1 ने तथ्यों एवं विधि की भारी भूल की हैं।

अपीलाधीन नामान्तकरण पर पारित आदेश क्षेत्राधिकार विहिन, विधि विरूद्व तथा पूर्णतया तथ्यों से परे है एवं म्याद के संबंध में विधि का मत है कि ऐसा आदेश जो क्षेत्राधिकार विहिन एवं शुन्य घोषित योग्य है अतः किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है इस प्रकरण में म्याद का बिन्दु गौण है क्योंकि इसमें विधि का उल्लंघन हुआ है और जहां विधि का उल्लंघन कर आदेश पारित किया जाता है वह आदेश अपने आप में कोई आदेश ही नहीं है। ऐसी स्थिति में एक अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अतः अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि पारित नामान्तरकरण सं. 1819 दिनांक 15.04.2013 में पारित आदेश निरस्त कर अपीलाधीन आराजी आपीलांट के नाम रेकर्ड में अंकित करने के आदेश फरमावें।

अपीलान्ट की अपील दर्ज कर उतरदातागण को सम्मन तलब किये गये। उतरदातागण सं. 1 व 2 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अपीलान्ट वकील ने तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट वर्तमान की स्थिति मंगवाने का निवेदन किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सेड़वा को मौका रिपोर्ट वर्तमान की स्थिति हेतु लिखा गया।

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रेषित कमांक/भू.अ./2022/3454 दिनांक 21.11.2022 को न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई जिस अनुसार राजस्व अपील संख्या 10/2013 अनवान वरजूदेवी बनाम ग्राम पंचायत शौभाला दर्शान धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट की तथ्यात्मक मौका जांच करने वास्ते मौके पर पहुंचा। मौतबरानों एवं अपीलर्थी के वारिसानों के रूबरू जांच की गई। जिनकी तथ्यात्मक रिपोर्ट इस प्रकार है– (1) खसरा संख्या 1121/612 रकबा 24.03 है। जिसका सम्पूर्ण हिस्सा बेचान वरजूदेवी पत्नी तुलसाराम के नाम है जो दिनांक 28.12.2017 को फौत हो गई जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। (2) वरजूदेवी पत्नी तुलसाराम के वारिसान निम्न है– हनुमान, भंवरलाल, भैराराम, सोहनलाल, प्रकाश कुमार व दो पुत्रीयां मूमल व सुआ है जिनके पिता तुलसाराम है। (3) उक्त खसरे की भूमि पर वरजूदेवी के वारिसानों का कब्जा व काश्त है तथा घर बने हुए है, तथा घर कनेक्शन लगे हुए है (4) बेचान की गई भूमि को विक्रेता द्वारा अपनी सर्वसहमति से बेचान

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.05 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

जिसका वर्तमान समय में बेचानकर्ता की तरफ से कोई विवाद नही है, उक्त मौका फर्द सुनाई गई, सुन समझकर अंगुठे निशान एवं हस्ताक्षर किये।

अतः अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की स्वीकार कि जाती है तहसीलदार सेड़वा को नये सिरे से सभी दस्तावेजों की विधि सम्मत् जांच कर सही वारिशान के नाम से नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.05 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner